



राजस्थान सरकार  
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर



क्रमांक:- स.3-9(18)स्था/अभि/2013/00099

दिनांक 31-01-2024

:-परिपत्र:-

प्रायः यह देखा गया है कि अभियोजन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी उपार्जित अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र पर्याप्त समय से नहीं देते हैं तथा उक्त अवकाश आवेदन पत्र में अवकाश का उचित कारण भी अंकित नहीं करते हैं तथा अवकाश स्वीकृत कराये बिना ही अवकाश पर प्रस्थान कर जाते हैं।

अतः उक्त के संबंध में अभियोजन विभाग के अधीन समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपार्जित अवकाश हेतु 15 दिवस पूर्व उचित कारण अंकित करने हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तथा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कोई भी प्रस्थान ना करें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन/उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
2. समस्त अभियोजन अधिकारी/सहायक अभियोजन अधिकारी, अभियोजन विभाग, राजस्थान।
3. समस्त मंत्रालयिक/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभियोजन विभाग, राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

Address: Room No: 7226, 2<sup>nd</sup> Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005  
Phone & Fax: 0141-2227806  
Mail ID: [Prosecution@Rajasthan.gov.in](mailto:Prosecution@Rajasthan.gov.in)

RajKaj Ref

